24-5-18 जनावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोटचावण्डा में पेश हुई। जनावली एवं जनावली उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मूल वाद आदेश/डिक्री, पुश्तैनी एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थीगण की स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित किया जाता आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण के मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय से स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में पारित किया जाता है कि ग्राम सीतापुरा तहसील स्थित खसरा नं. 148 रकबा 0.28 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखे। प्रकरण की जांच अनुसार दोनों पक्ष के बीच लम्बे समय से विवाद चल रहा है एवं मूल वाद विचाराधीन है। निर्णय राजस्व लोक अदालत के समक्ष नहीं। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प कोटचावण्डा के मंजूरी आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक अभिलेखक
द्वारा